allowed the facility of increasing their production to the extent of  $250^{\circ}_{0}$  over their licensed capacity, by addition of minor balancing equipment without need for obtaining a fresh licence therefor. However, during the de-licensed period referred to under (a), this facility was subject to the limit of 100 tonnes per day or 200 tonnes per day, as the case may be, referred to therein.

## Radical and Progressive Policy of Industrial Relations

\*408. SHRI M. M. JOSEPH : Will the Minister of LABOUR AND REHA-BILITATION be pleased to state :

(a) whether leaders of the Hind Mazdoor Sabha and All India Trade Union Congress urged the Central Government on the 13th May, 1971 to evolve a policy of industrial relations on a more radical and progressive direction; and

(b) if so, the particulars thereof and the reaction of the Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHA-BILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) Yes.

(b) No details were spelt out. The entire question of future industrial relations policy, however, is under Government's consideration.

## Removal of Zonal Restrictions on Movement of Food-grains

\*409. RAJMATA GAYATRI DEVI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether in the light of the record crop of food-grains this year, Government are thinking of removing the zonal restrictions imposed on the movement of the foodgrains; and

(b) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE); (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

## इस्पात का निर्यात

\*410. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इत्पात और खान मंत्री यह बनाने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या इस वर्ष इस्पात के निर्यात में काफी कमी करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ,

(ख) यदि हां, तो इसमे भारत को विदेश व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) विश्व बाजार में भारत की क्या स्थिति रहेगी और भविष्य में विदेशों में स्थापित किए जाने वाले भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इत्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार-मगरूम): (क): जी हां। निर्यात के बारे में सरकार एक विनियमित नीति का अनुसरण कर रही है जिससे बढ़िया किस्म के इस्पात की घरेलू मांग को पूरा करने की आवश्यकता तथा निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता मे उप-युक्त संतुष्ठन स्थापित किया जा सके।

(ख) और (ग). सभी बातों को देखते हुए भारत के विदेग-व्यापार पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इंजीनियरी सामान का निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए आन्तरिक उपलब्धि अढ़ाने से उनके माल के निर्यात से बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्यात की तुलना में अधिक आय होगी। उन्हां तक दूसरे देग में स्थापित किये जाने वाले भारतीय उद्योगों को इस्पात सप्लाई करने का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले में प्रवर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय किया जाता है।